सार्वजनिक सूचना

यूपीसीएल की पंचम नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 के बिजनेस प्लान तथा मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशन पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 11–04–2025 के विरुद्ध यूपीसीएल द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी पुर्नविचार याचिका की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने हेतु जन सुनवाई।

पुर्नविचार याचिका के मुख्य अंश

1– यूपीसीएल, उत्तराखण्ड़ राज्य की एकमात्र विद्युत वितरण अनुज्ञापी कम्पनी ने पंचम नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 के बिजनेस प्लान तथा मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशन पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 11–04–2025 के विरुद्ध आयोग के समक्ष एक पुर्नविचार याचिका प्रस्तुत की है।

2– इस पिटीशन के माध्यम से यूपीसीएल ने रु0 674.77 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व आवश्यकता का दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया हैः

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त वार्षिक राजस्व आवश्यकता : 2023–24	अतिरिक्त वार्षिक राजस्व आवश्यकता : 2025–26	कुल
		रु0 करोड़	**रु0 करोड़**	**रु0 करोड़**
1.	विद्युत क्रय लागत	-	74.86	74.86
2.	ह्रास	22.95	20.27	43.22
3.	ऋण पर ब्याज	42.45	37.49	79.93
4.	अंशपूजी पर प्रतिफल	35.06	30.97	66.03
5.	राज्य सरकार से प्राप्य बकाया धनराशि पर विलम्ब भुगतान अधिभार	129.09	129.09	258.18
6.	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	-	82.27	82.27
7.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (शुद्ध लाभ / (हानि) के अंश के पश्चात)	3.07	7.77	10.84
8.	**अतिरिक्त वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**232.62**	**382.72**	**615.34**
9.	वहन लागत	59.43	-	59.43
10.	**वहन लागत सहित कुल अतिरिक्त वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**292.05**	**382.72**	**674.77**

3– यूपीसीएल ने उपर्युक्त रु0 674.77 करोड की अतिरिक्त राजस्व आवश्यकता की वसूली 01–04–2025 से विद्युत दरों में वृद्धि के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया है। यूपीसीएल ने वर्तमान में लागू विद्युत दरों में 5.82 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

4 – पिटीशन की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने हेतु उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आंमत्रित किये जाते है। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस– माजरा, देहरादून –248171 को अथवा ई–मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 01–08–2025 तक भेजे जा सकते है।

5– आयोग ने 05–08–2025 को पूर्वान्ह 11.30 बजे उपर्युक्त वर्णित पते पर आयोग के कार्यालय में जन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। कोई भी व्यक्ति जो इस विषय पर आयोग के समक्ष अपने विचार रखना चाहता है, आयोग के समक्ष उपस्थित होकर उपर्युक्त जन सुनवाई में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

6– विस्तृत पिटीशन किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिवालिक कोम्पलैक्स, द्वितीय तल, निकट–एल.आई. सी. मण्डल कार्यालय, हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमांऊ क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132–के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर–2, सिडकुल, पंतनगर,रुद्रपुर–263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। पिटीशन के सम्बन्धित अंश यूपीसीएल के उपर्युक्त वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है।

7– उक्त पिटीशन आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक